राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुंझुनू

प्रकरण संख्या : 06/2013

पीठासीन अधिकारी -- कपिल कुमार (आर.टी.एस.)

अन्तर्गत धारा 90 क सपठित धारा 91 राजस्थान भू-राज. अधिनियम 1956
सरकार बनाम 1. श्री भोलाराम पुत्र सुखदेवा जाति माली निवासी नवलगढ़
वार्ड न.08, 2. श्री ओमप्रकाश पुत्र भोलाराम जाति माली
निवासी वार्ड न. 08 नवलगढ़।

दिनांक: 24.02.2020

-: निर्णय :-

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का, नवलगढ़ कि रिपोर्ट अनुसार ग्राम नवलगढ़ स्थित भूमि खसरा 1939/1653 रकबा 0.2833 किस्म बारानी कि खातेदारी श्री भोलाराम पुत्र सुखदेवा जाति माली निवारी वार्ड नम्बर 08 नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ के नाम दर्ज रिकॉर्ड हैं। उक्त भूमि में श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री भोलाराम जाति माली ने 1680 वर्गफीट भूमि फर्नीचर का लघु कुटीर उधोग एवं 2000 वर्ग फीट भूमि पर आवासीय मकान मकान बनाकर कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जा रहा है जो कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ काम में ले लिया गया है। प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क सपठित धारा 91 के तहत दर्ज कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। सम्यक तामिल पश्चात अप्रार्थीगणों कि और से एडवोकेट उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया गया एवं जबाब हेतु समय मांगा गया, न्यायहित में बार-बार अवसर दिया जाने के पश्चात आज दिनांक तक अप्रार्थीगणों कि और से जवाब पेश नही किया गया है।

पत्रावली में संलगन दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा वर्तमान में मौका रिपोर्ट चाही गई जिसमें पटवारी हल्का में बताया कि ख.न. 1939/1653 रकबा 0.2833 है. किस्म बारानी में 1680 वर्गफुट भूमि पर फर्नीचर का लघु कुटीर उधोग व 2000 वर्गफुट भूमि पर आवासीय मकान बनाकर कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ काम मे लिया जा रहा है।

पटवारी हल्का द्वारा प्राप्त रिपोर्ट, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया जिसमे ग्राम नवलगढ़ स्थित भूमि खसरा 1939/1653 रकबा 0.2833 हैक्टर किस्म बारानी कि खातेदारी श्री भोलाराम पुत्र सुखदेवा जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 08 नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ के नाम दर्ज रिकॉर्ड हैं। जो नगर पालिका नवलगढ़ के पैराफेरी क्षेत्र के अधीन आति है अतः नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के पत्रांक प.3(313)नविवि/3/2011 दिनांक 11.02.2020 की पालना में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की तहसीलदार की शक्तियों का प्रत्यायोजन प्राधिकृत अधिकारियों को किया गया है। जिससे दिनांक 17.06.1999 के बाद के जिन प्रकरणों में मूल खातेदार कृषि भूमि के रूपान्तरण की कार्यवाही के लिये आवेदन नही करता है और मौके पर खातेदार ने या उसके हस्तान्तरिती/हस्तान्तरितियों ने भूमि का गैर कृषिक उपयोग कर लिया है, ऐसे प्रकरणों में प्राधिकृत अधिकारी धारा 91 सपठित धारा 90-क के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये यथोचित ओदश पारित करेगा। अतः इस कार्यालय में विचाराधीन प्रकरण मु0न0 06/2013 रा0ले0 रे0 एक्ट 1956 की धारा 90ए सपठित 91 की पत्रावली नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के पत्रांक प.3 (313) नविवि/3/2011 दिनांक 11.02.2020 की पालना करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी नगर पालिका नवलगढ़ को हस्तान्तरित की जाकर दर्ज रजीस्टर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार नवलगढ़